न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर

पीठासीन अधिकारी :– श्योराम कुमार आर.ए.एस.

अपील संख्या :– 02/18

1. रणजीतकौर पत्नी कुलवन्तसिंह जाति रायसिख निवासी चक 12 केवाईडी तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर।

.....अपीलांट

बनाम

1. गोपालदास, संध्यादेवी, ओमीदेवी, निर्मलादेवी, कमलादेवी पि0 मंगतू जाति जाट निवासीगण मूहल तहः देहरा जिला कांगड़ा (हि0प्र0)
2. सिकन्दरसिंह, पवनकुमार, विजयकुमार, सीमादेवी पि0 शिवदेवी पुत्री मंगतू जाति जाट निवासीगण मूहल तहः देहरा जिला कांगड़ा (हि0प्र0)
3. राकेशकुमार, सुशीलकुमार, सुरेशकुमार, मीनूरानी पि0 कृष्णादेवी जाति जाट निवासीगण मूहल तहः देहरा जिला कांगड़ा (हि0प्र0)
4. सरपंच ग्राम पंचायत 17 केवाईडी
5. राजस्थान सरकार जरिये राजस्व तहसीलदार खाजूवाला

..... रेस्पोडेन्ट्स

उपस्थित अभिभाषकगण :–

1. श्री बृजलाल चाहर विद्वान अधिवक्ता अपीलांट की ओर से।
2. श्री हंसराज देहडू विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट्स की ओर से।
3. पैरोकारराज उपस्थित।

अपील अन्तर्गत धारा 75 एल0आर0 एक्ट

निर्णय **दिनांक 06.02.23**

उक्त अपील अपीलांट की ओर से अन्तर्गत धारा 75 एल0आर0 एक्ट के तहत् पेशकर जैर अपील आदेश को चुनौती दी गई है जिसका संक्षिप्त में अपील अपीलांट ने वर्णित किया कि अपीलांट ने चक 12 केवाईडी के मु0नं0 115/56 किला नं0 1 ता 12 की 12.00 बीघा भूमि इसके मूल खातेदार के मु0आम गुरदेवसिंह से जरिये रजिस्ट्रर्ड बैयनामा दिनांक 18.02.2008 से 600000/– रुपये अखरे छः लाख रुपये में खरीद की हुई है। मूल खातेदार की तरफ से उसके मु0आम ने अपीलांट के पक्ष में भूमि का बैयनामा पंजीबद्ध करवा दिया और सौदे की पूरी राशि लेकर मौके अपीलांट को कब्जा भी दे दिया तब से लेकर आजदिन तक अपीलांट को कब्जा भी दे दिया तब से लेकर आजदिन तक अपीलांट अपील खरीदशुदा खातदोरी भूमि पर काबिज होकर काश्त रही है। चूंकि मूल खातेदार ने उक्त भूमि जरिये बैयनामा बैचान कर दी थी जो कि उसके खातेदारी अधिकारों का अवसान दिनांक 18.02.2008 को ही हो गया था। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 63 की उपधारा टप् के मुताबिक रेस्पोडेन्ट उक्त भूमि के पात्र नहीं रहे है। इस सब के बावजूद अपीलांट ने अमलाराज से मिलकर इकतरफातौर अपीलांट को बिना सुनावाई का मौका दिये बिना मौका निरीक्षण, बिना मजमेआम के

पढ़कर सुनाये इन्तकाल सं0 242 दिनांक 21.08.2017 दर्ज किया जो निरस्त किये जाने योग्य है। उक्त भूमि बाबत् विभिन्न न्यायालयों के प्रकरण जैरकार रहे तथा अपीलांट ने भी एक अपील माननीय न्यायालय में कर रखी थी, वाद सं0 49/2008 गोपालदास वगै0 बनाम गुरदेवसिंह भी जैरकार रहा तथा एक फौजदारी मुकदमा सं0 58/2008 भी आज दिनांक जैरकार है। इस वजह से अपीलांट के बैयनामें का इन्तकाल दर्ज नहीं हो पाया तथा प्रार्थना पत्र 55/2008 दिनांक 13.05.2008 से दिनांक 25.04.2018 तक यथास्थिति का स्थगन प्रभावी था फिर भी अधिनस्थ न्यायालय ने कानून ताक पर रखकर उक्त जैर अपील आदेश पारित कर दिया जो कतई मेन्टेन योग्य नहीं है, काबिल निरस्तनीय है। इन्तकाल दर्ज करने से पूर्व लैण्ड रिकॉर्ड्स रूल्स के तहत मौके की जांच किया जाना आवश्यक है। वास्तव में जिसके पक्ष में इन्तकाल की कार्यवाही की जा रही है। वास्तव में उसका कब्जा काश्त है या नहीं है। जबकि अपीलांट के भूमि खरीद से पहले मूल खातेदार के मु0आम का कब्जा काश्त था और बैयनामें के समय कब्जा अपीलांट को दे दिया गया था। प्रस्तुत प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय ने इस सब तथ्यों की अनदेखी कर मनमाने तौर पर इन्तकाल दर्ज किया है जो निरस्त किये जाने योग्य है। आराजी अपीलांट की खरीदशुदा खातेदारी है और खरीद के दिन से आज रोज तक अपीलांट का मौके पर कब्जा काश्त चला आ रहा है। रेस्पोडेंट सं0 14 को इन सब तथ्यों की जानकारी होते हुए भी रेस्पोडेंट सं0 1 ता 13 का मौके पर कब्जा काश्त नहीं था । अधीनस्थ न्यायालय ने इन सब तथ्यों की जानकारी होते हुए भी इन तथ्यों को छिपाकर जो फर्जी तरीके से विरासतन इन्तकाल दर्ज करवाया है वो कानूनी रुप से गलत है। बिना अपीलांट को सूचना दिये एवं बिना सुनवाई का मौका दिये एवं बिना पूर्ण तथ्यों का अन्वेषण किये इन्तकाल सं0 242 पारित किया है जो निरस्त किये जाने योग्य है। निर्णय दिनांक 21.08.2017 इ0सं0 242 इकतरफातौर पर बिना अपीलांट को सुनवाई का मौका दिये इकतरफा तौर पर पारित किया गया था। अपीलांट अधीनस्थ न्यायालय पक्षकार नहीं थी इसलिए अपीलांट आवश्यक पक्षकार के रुप में न्यायालय से अपील पेश करने की अनुमति चाहती है। अतः अपीलांट प्रस्तुत

अपीलांट के सगे भाई केवलराम के नाम से रकबा चक 40 केजेडी में मु0नुं0 68/41 में 23 बीघा 10 बिस्वा कमाण्ड भूमि खातेदारी दर्ज है । रेस्पोडेन्ट सं0 1 ने अपीलांट के भाई केवलराम की मृत्यु अविवाहित ही सन् 15.08.1982 में हो जाने के उपरांत उक्त खातेदारी भूमि की फर्जी वसीयत सन् 30.10.1998 में तैयार कर उसमें केवलराम के फर्जी व कूटरचित हस्ताक्षर कर और फर्जी मृत्यु प्रमाणपत्र दिः 12.03.2000 तैयार कर केवलराम को वार्ड 23 खाजूवाला में होना दर्शाकर उक्त भूमि का इन्तकाल सं0 25 दिः 11.04.2012 को अधीनस्थ न्यायालय राजस्व तहसीलदार खाजूवाला से दर्ज करवा लिया। और रेस्पोडेन्ट सं0 1 द्वारा उक्त भूमि का बैयनामा करवा दिया तथा खरीददार अवैध जिप्सम खनन कर रहा है।

उक्त वादगत भूमि का अपीलांट्स द्वारा रेस्पोडेट सं0 1 व अन्य के विरूद्ध न्यायिक मजिस्ट्रेट प्र.व. खाजूवाला में आपराधिक मुकदमा दिनांक 16.08.2012 को धारा 420,

406, 120'बी', 467, 468 आईपीसी के तहत दर्ज करवाया है । उक्त जैर अपील आदेश एकतरफातोर पर पारित किया है। जिसके आधार पर इन्तकाल सं0 25 दिः 11.04.2012 भी स्वीकृत हो चुका है। इसप्रकार अधीनस्थ न्यायालय ने तमाम रिकार्ड के विपरीत जाकर जैरअपील आदेश पारित कर कानूनी भूल की है। जिसके लिए अपील स्वीकार कर उक्त आदेश निरस्त किये जाने का निवेदन किया है।

सर्वप्रथम अपील दर्ज रजिस्टर की गई रेस्पो0 को समन जरिये रजि0ए0डी0 तलब किया लेकिन वाद गुजरने मियाद रेस्पोडेन्ट वकालतन या असालतन हाजिर उपस्थित नहीं आये फलस्वरूप दिः 25.02.2020 को रेस्पो0 1 के खिलाफ एकपक्षीय आदेश किये जाकर अपीलांट की एकपक्षीय बहस सुनी गई।

सर्वप्रथम मियाद के प्रार्थना पत्र पर देखा गया जिसमें अपीलांट ने धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र पेशकर मियाद कण्डोन ईस्तदुवा चाही है। रेस्पोडेंट अधिवक्ता ने जिसका कोई खण्डन नहीं किया है। इसलिए उक्त अपील अन्दरमियाद अपील पेशकर अन्दर मियाद शुमार करने का निवदेन है चूंकि अपील गुणावगुण पर ही सुनी जानी न्यायोचित है ताकि पक्षकारों को अपना पक्ष रखने का समुचित अवसर मिल सके वैसे भी उक्त अपील में रेस्पोडेट ने कोई काउन्टर शपथपत्र या मियाद का खण्डन नहीं किया है इसलिए अपील को सर्वप्रथम मियाद के बिन्दू पर अन्दरमियाद शुमार की जाती है। गुणावगुण पर अपील का निस्तारण किया जाता है।

न्यायालय ने अधिवक्ता अपीलांट की बहस को सुना एंव पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया । अपीलांट ने उक्त अपील अपीलाधीन आदेश पर इन्तकाल सं0 25 दिः 11.04.2012 के विरूद्ध इस आधार पर प्रस्तुत की है कि चक 40 केजेडी में मु0नुं0 68/41 में 23 बीघा 10 बिस्वा कमाण्ड भूमि खातेदारी दर्ज है । रेस्पोडेन्ट सं0 1 ने अपीलांट के भाई केवलराम की मृत्यु अविवाहित ही सन् 15.08.1982 में हो जाने के उपरांत उक्त खातेदारी भूमि की फर्जी वसीयत सन् 30.10.1998 में तैयार कर उसमें केवलराम के फर्जी व कूटरचित हस्ताक्षर कर और फर्जी मृत्यु प्रमाणपत्र दिः 12.03.2000 तैयार कर केवलराम को वार्ड 23 खाजूवाला में होना दर्शाकर उक्त भूमि का इन्तकाल सं0 25 दिः 11.04.2012 को अधीनस्थ न्यायालय राजस्व तहसीलदार खाजूवाला से दर्ज करवा लिया। रेस्पोडेन्ट सं0 1 ने उक्त भूमि का बैयनामा कर दिया । वह सरासर गलत व रिकार्ड के विपरीत है। अपीलांट के भाई ने ग्रा.पं. जोड़ तह–फलौदी जिला जोधपुर से वारिसनामा पेश किया जिसमें केवलराम के तीन भाई नेनूराम पुत्र हरजीराम, सिदाराम पुत्र हरजीराम, नखताराम पुत्र हरजीराम का जायज वारीस बताया है। चूंकि प्रकरण पक्षकारों के वसीयतन एवं विरासतन को लेकर है तथा नामान्तरण एवं फिस्किल प्रोसेसिंग है।

जिसे दोनों पक्षकारों को अधीनस्थ न्यायालय को सुनकर गुणावगुण पर निर्णय देना था। जहां ब्लड रिलेशन से बाहर वसीयत हो तो मृतक के वारीसों को सुनकर समुचित जांचकर निर्णय किया जाना न्यायसंगत है रही बात वसीयत सही या फर्जी उसके लिए न्यायालय हाजा किसी प्रकार से सक्षम नहीं जहां विवाद हो जाता है और सन्देहास्पद वसीयत हो जाती है तो वहां दोनों पक्षकारों को गुणवगुण पर सुन लेना आवश्यक है।

ऐसी स्थिति में उक्त इन्तकाल सं0 25 दिः 11.04.2012 को निरस्त किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश दिः 11.04. 2012 इन्तकाल सं0 25 निरस्त किया जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार राजस्व खाजूवाला को इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया जाता है कि दोनों पक्षकारों को सुनवाई का अवसर प्रदान कर पुनः राज्यहित को सर्वोपरि रखते हुए गुणावगुण पर निर्णय पारित करे। तहसीलदार राजस्व खाजूवाला को निर्णय की प्रति भेजकर पालना हेतु लिखा जावे। पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिलदफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक ..... को सरे इजलास सुनाया गया।

(श्योराम),
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,
(खाजूवाला)